न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 20 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. परबता पुत्र नागजी के का.मु.	बनाम 1.भूपाराम पुत्र प्रभु
1 / 1ओखा पुत्र परबता	2.लालाराम पुत्र प्रभु
1 / 2भंवरा पुत्र परबता	3.रिड़मल पुत्र हरदा
2. तगा पुत्र नागजी	4.थाना पुत्र हरदा फौत का.मु.
3. भैरा उर्फ मेहरा पुत्र नागजी	4 / 1मरेमा पत्नी थाना
4. कृष्ण पुत्र नागजी	4 / 2चुतरा पुत्र थाना
5. बाबु पुत्र काना	5.जगा पुत्र हरदा फौत के का.मु.
6. लुणा पुत्र काना जातियान मेघवाल, निवासीयान सिन्धासवा हरनियान, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	5 / 1श्रीमती वदू देवी पत्नी जगा
	5 / 2हराराम पुत्र जगा
	5 / 3गोरखाराम पुत्र जगा
	6.नरसी पुत्र हरदा
	7.भगा पुत्र हरदा
	8.बाबु पुत्र हरदा जातियान मेघवाल निवासीयान सिन्धासवा चौहान, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर
	9.मैनेजर एस.बी.बी.जे शाखा गुड़ामालानी।
	10.तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 16 / 1995 बअनवान भूपाराम बनाम परबता का.मु. वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.2012 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री श्यामलाल सिंघल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भाखराराम गोदारा रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 26.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण संख्या 01 व 02 द्वारा अपीलांट एवं उतरदातागण संख्या 03 से 10 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आशय का वाद पेश किया कि मौजा सिंघासवा हरणियान के खेत खसरा संख्या 265 रकबा 33.11 बीघा व खसरा संख्या 506 रकबा 98.05 बीघा में अपना 1/3 हिस्सा घोषित कराने हेतु पेश किया। उतरदातागण संख्या 01 व 02 ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 12/2004 प्रस्तुत की जिसे स्वीकार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 06.07.2005 को रिमाण्ड करके निर्देश दिये गये कि वे अपने वाद के समर्थन में ठोस लिखित सबूत पेश करे व यह भी निर्देश दिये की सम्वत 2012 से 2032 तक की खसरा गिरदावरी की नकलें भी पेश भी पेश करे। परन्तु उतरदातागण संख्या 01 व 02 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये सबूतों के अलावा कोई सबूत पेश नहीं किया गया फिर भी अपीलाधीन डिक्री एवं निर्णय अपीलांट के विरूद्ध पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार गुड़ामालानी को कमिश्नर नियुक्त करके मोके की स्थिति संबंधी निपोर्ट तलब की गई लेकिन तहसीलदार स्वयं न तो मौके पर गया तथा न ही अपीलांट को मौके पर उपस्थित रहने के लिए सूचित किया। अपीलाधीन मौका रिपोर्ट अपीलांट के रूबरू तैयार नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधी निर्णय मृत जगा पुत्र हरदा के विरूद्ध पारित किया गया है। जबकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारत किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उतरदातागण संख्या 01 व 02 ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 12/2004 प्रस्तुत की जिसे स्वीकार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 06.07.2005 को रिमाण्ड करके निर्देश दिये गये कि वे अपने वाद के समर्थन में ठोस लिखित सबूत पेश करे व यह भी निर्देश दिये की सम्वत 2012 से 2032 तक की खसरा गिरदावरी की नकलें भी पेश भी पेश करे। परन्तु उतरदातागण संख्या 01 व 02 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये सबूतों के अलावा कोई सबूत पेश नहीं किया गया फिर भी अपीलाधीन डिक्री एवं निर्णय अपीलांट के विरूद्ध पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार गुड़ामालानी को कमिश्नर नियुक्त करके मोके की स्थिति संबंधी निपोर्ट तलब की गई लेकिन तहसीलदार स्वयं न तो मौके पर गया तथा न ही अपीलांट को मौके पर उपस्थित रहने के लिए सूचित किया। अपीलाधीन मौका रिपोर्ट अपीलांट के रूबरू

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तैयार नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधी निर्णय मृत जगा पुत्र हरदा के विरूद्ध पारित किया गया है। जबकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारत किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ (SC) 2017 Page 415
RRD 2003 Page 32

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी वक्त बंदोबस्त की त्रुटि एवं तत्समय अल्प व्यय के कारण वादीगण के पिता का नाम पर्चालगान में दर्ज नहीं होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि अंकित नहीं होने से अपीलाधीन आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के साथ खातेदार घोषित करवाते हुए 1/3 हिस्सा अपनी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 05 की मृत्यु वाद के निस्तारण के बाद एवं अपील पेश करने के मध्य हुई है। अपीलांट दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

सर्वप्रथम उभयपक्ष को अवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा अपील के साथ पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश कर निवेदन किया गया है कि न्यायालय हाजा में उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत अपील पेश की गई जो स्वीकार की जाकर उतरदातागण संख्या 01 व 02 को यह निर्देश दिये गये थे कि वे अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त खेतों के संबंध में संवत 2012 से 2032 की खसरा गिरदावरी कब्जे के संबंध में प्रस्तुत करे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा यह दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को भी दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री जारी की गई। अब अपील के साथ अपीलांट द्वारा संवत 2012 से 2032 की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की जा रही है। प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दस्तावेज अपील में सही निर्णय तक पंहुचने में सहायक है। अतः दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के जबाव में रेस्पोडेंट ने बताया कि प्रस्तुत दस्तावेज से न्यायालय को निर्णय पारित करने में कोई सहायता मिलने की संभावना नहीं है। तथा रेकर्ड पर लेना आवश्यक नहीं है। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 को खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अपील के साथ ही फॉर्म नं. 03 मे फेहरिस्त दस्तावेज पेश किये है। यह दस्तावेज (गिरदावरी संवत 2013 से 2033 खसरा संख्या 265 व 306) न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को निमाण्ड करते हुए दिये गये निर्देशों की पालना में ये सुसंगत दस्तावेज है। इसलिए इन्हें रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.10.2012 से मौका कमिश्नर नियुक्ति का आदेश हुआ जिसके निर्देशानुसार उभयपक्ष के रूबरू "तथ्यात्क रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को कमिश्नर नियुक्त किया। इसकी पालना में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 08.10.2012 का अवलोकन किया। इस मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर है यह रिपोर्ट न तो नियुक्त कमिश्नर द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई एवं न ही अपीलांटगण की उपस्थिति में यह मौका रिपोर्ट तैयार हुई है। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 06.07.2005 में निर्देश दिये कि "वादीगण को संवत 2012 से 2032 तक की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे ताकि उसमे साबित हो सके कि उस समय उनका या उनके पिता प्रभू का कब्जा काश्त था या नहीं क्या प्रतिवादी को भी अन्य दस्तावेज व गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये और वाद का तनकीवार निर्णय किया जावे। "फैसला एवं पत्रावली के अवलोकन से साफ जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना नहीं हुई है। अपील के साथ अपीलांट पक्ष द्वारा फॉर्म संख्या 03 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज फेहरिस्त खसरा गिरदावरी खसरा संख्या 265 व 306 संवत 2013–16, संवत 2017, संवत 2018–21,संवत 2022 से 2025, संवत 2026–29, संवत 2030–2033 प्रस्तुत की है जो वादीगण या उनके पिता प्रभु का कब्जा काश्त सिद्ध नहीं करती। अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रतिवादी संख्या 09 जगा वल्द हरदाराम से स्पष्ट है कि जगाराम की मृत्यु दिनांक 15.09.2011 को हो

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

चुकी थी जबकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.12.2012 को, उसकी मृत्यु के पश्चात दिया गया है। यह निर्णय मृत व्यक्ति(प्रतिवादी संख्या 09) के खिलाफ है, इसलिए विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/1995 बअनवान भूपाराम बनाम परबता का.मु. वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.2012 को अपास्त किया जाता है।

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner